06/08/2021

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

कार्यालय-सम्पत्ति अनुभाग (शारदा नगर/कानपुर रोड योजना)

पत्रांक संख्या- 55/SO/P/[illegible]

दिनांक 6/8/2021

आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-	40015721054491 एवं 40015721054573, 40015721035158	
आख्या की दिनांक	28.07.2021	
शिकायतकर्ता का विवरण	नाम	श्री दिनेश प्रताप सिंह
	मोबाइल नम्बर	9838919619
क्या शिकायतकर्ता से वार्ता की गई? (हाँ अथवा नहीं)		हाँ
क्या शिकायतकर्ता जाँच आख्या से संतुष्ट है? (हाँ अथवा नहीं)		-
क्या शिकायत का भौतिक सत्यापन कराया गया? (हाँ अथवा नहीं)		-
दो गवाह (यदि आवश्यक हो)		
प्रथम गवाह नाम-	द्वितीय गवाह नाम-	
प्रथम गवाह मोबाइल नम्बर-	द्वितीय गवाह मोबाइल नम्बर-	
प्रथम गवाह पता-	द्वितीय गवाह पता-	
जाँचकर्ता अधिकारी का विवरण	पद	सम्पत्ति अधिकारी
	नाम	-
	मोबाइल नम्बर	-

अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की बिन्दुवार आख्या

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-एच स्थित भूखण्ड संख्या-एस0एस0-1914 श्रीमती गुड्डी, एस0एस0-1915 श्री कनिष्ठ कुमार सिंह, एस0एस0-1916 श्री बाबू सिंह, एस0एस0-1917 श्रीमती बीना एवं एस0एस0-1918 श्री अजय सिंह के पक्ष में आंवटित है, जिनका फ्री-होल्ड निबन्धन विलेख आवंटियों के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित है। प्राप्त शिकायती पत्र के क्रम में आवंटियों को भूखण्ड आवंटन/निबन्धन से सम्बन्धित मूल प्रपत्रों व स्वयं के पहचान पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पूर्व में दिनांक 25.09.2019 एवं दिनांक 24.10.2019 को पत्र प्रेषित किये गये हैं, परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड के आवंटी वांछित प्रपत्रों सहित कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए है, जिस हेतु दिनांक 30.12.2020 को कार्यालय द्वारा पुनः उक्त आवंटियों को उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, संदर्भित सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा वांछित प्रपत्र/अभिलेख उपलब्ध होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस आशय की सूचना आपके पूर्व प्रेषित प्रार्थना-पत्रों/आई0जी0आर0एस0 के प्रतिउत्तर आपको कार्यालय पत्र संख्या-516/OSD-R/2020 दिनांक 06.02.2020, पत्र संख्या-1184/SOP/2021, पत्र संख्या-1217/SOP/2021 दिनांक 16.06.2021, पत्र संख्या-1225/OSD/2021 दिनांक 18.06.2021 एवं पत्र संख्या-17/SOP/OSD/2021 दिनांक 16.07.2021 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु वर्तमान में कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी द्वारा जाँच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सम्पत्ति अधिकारी

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

कार्यालय-सम्पत्ति अनुभाग

पत्रांक संख्या- 495/SO(B)/2023

दिनांक 22/11/2023

आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-	60000230221887	
आख्या की दिनांक	दिनांक 03.11.2023	
शिकायतकर्ता का विवरण	नाम	श्री केशव प्रताप सिंह
	मोबाइल नम्बर	9794089100
क्या शिकायतकर्ता से वार्ता की गई? (हाँ अथवा नहीं)		हाँ
क्या शिकायतकर्ता जाँच आख्या से संतुष्ट है? (हाँ अथवा नहीं)		-
क्या शिकायत का भौतिक सत्यापन कराया गया? (हाँ अथवा नहीं)		-
दो गवाह (यदि आवश्यक हो)		
प्रथम गवाह नाम-	द्वितीय गवाह नाम-	
प्रथम गवाह मोबाइल नम्बर-	द्वितीय गवाह मोबाइल नम्बर-	
प्रथम गवाह पता-	द्वितीय गवाह पता-	
जाँचकर्ता अधिकारी का विवरण	पद	उप सचिव
	नाम	अतुल कृष्ण सिंह
	मोबाइल नम्बर	9918001893
अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की बिन्दुवार आख्या		

उक्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-60000230221887 दिनांक 03.11.2023 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-एस0एस0-1914, 1915, 1916, 1917 एवं 1918 के अनियमित आवंटन/निबन्धन से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण में समिति गठित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। समिति के निर्देशानुसार स्थलीय आख्या प्राप्त करते हुए सम्बन्धित भूखण्डों के आवंटियों एवं शिकायतकर्ता को अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं तथा दूरभाष पर भी वार्ता की गयी है। दोनों पक्षों द्वारा वांछित अभिलेखों/साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित होने के पश्चात अभिलेखों/साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अतुल कृष्ण सिंह)
उप सचिव

कार्यालयः उप सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

पत्रांकः 183/SO(D)/RO/2021

दिनांक 08 /10/2021

श्रीमती श्रद्धा चौधरी, तहसीलदार/जनसूचना अधिकारी

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत ऑन लाइन RTI Request No. LKDPA/R/2021/60285 Dated 04.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-एच स्थित भूखण्ड संख्या-एस0एस0-1914, एस0एस0-1915, एस0एस0-1916, एस0एस0-1917 एवं एस0एस0-1918 से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु वर्तमान में कमेटी का गठन किया जा चुका है। गठित कमेटी द्वारा जाँच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार वांछित सूचना आवेदक को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अतुल कृष्ण सिंह)
उप सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

कार्यालय–सम्पत्ति अनुभाग (शारदा नगर/कानपुर रोड योजना)

पत्र संख्या : 490 दिनांक / 22/6/2022

आईजीआरएस संदर्भ संख्या		60000220083071, 60000220086200
आख्या की दिनांकः–		29.05.2022, 11.06.2022
शिकायतकर्ता का विवरण	नाम	श्री योगी एम0पी0 सिंह
	मोबाइल नम्बर	7379105911
क्या शिकायतकर्ता से वार्ता की गई? (हॉं अथवा नही)		नही
क्या शिकायतकर्ता जांच आख्या से संतुष्ठ है? (हॉं अथवा नही)		–
क्या शिकायत का भौतिक सत्यापन कराया गया? (हॉं अथवा नही)		–
दो गवाह (यदि आवश्यक हो)		
प्रथम गवाह नाम–		द्वितीय गवाह का नाम
प्रथम गवाह मोबाइल नम्बर		द्वितीय गवाह मोबाइल नम्बर
प्रथम गवाह पता–		द्वितीय गवाह पता–
जांचकर्ता अधिकारी का विवरण	पद	नजूल अधिकारी
	नाम	अरविन्द त्रिपाठी
	मोबाइल नंबर	– 9918002678
अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की बिंदुवार आख्या		

उक्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–60000220083071, 60000220086200 दिनांक 29.05.2022, 11.06.2022 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–एस0एस0–1914, 1915, 1916, 1917 एवं 1918 के अनियमित आवंटन/निबन्धन से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में आपको प्राप्त आई0जी0आर0एस0 प्रार्थना7पत्रों के क्रम में समय–समय पर सूचित किया जा चुका है। पुनः जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु जांच कमेटी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

(अरविन्द त्रिपाठी)
नजूल अधिकारी

1715.0/P/05 D/L 16/7/21

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

कार्यालय-सम्पत्ति अनुभाग (शारदा नगर/कानपुर रोड योजना)

पत्रांक संख्या- दिनांक 16/07/2021

आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-	सी-40015721040389	
आख्या की दिनांक	14.06.2021	
शिकायतकर्ता का विवरण	नाम	श्री दिनेश प्रताप सिंह
	मोबाइल नम्बर	9838919619
क्या शिकायतकर्ता से वार्ता की गई? (हाँ अथवा नहीं)		हाँ
क्या शिकायतकर्ता जाँच आख्या से संतुष्ट है? (हाँ अथवा नहीं)		-
क्या शिकायत का भौतिक सत्यापन कराया गया? (हाँ अथवा नहीं)		-
दो गवाह (यदि आवश्यक हो)		
प्रथम गवाह नाम-	द्वितीय गवाह नाम-	
प्रथम गवाह मोबाइल नम्बर-	द्वितीय गवाह मोबाइल नम्बर-	
प्रथम गवाह पता-	द्वितीय गवाह पता-	
जाँचकर्ता अधिकारी का विवरण	पद	विशेष कार्याधिकारी
	नाम	अमित राठौर
	मोबाइल नम्बर	

अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की बिन्दुवार आख्या

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-एच स्थित भूखण्ड संख्या-एस0एस0-1914 श्रीमती गुड्डी, एस0एस0-1915 श्री कनिष्क कुमार सिंह, एस0एस0-1916 श्री बाबू सिंह, एस0एस0-1917 श्रीमती वीना एवं एस0एस0-1918 श्री अजय सिंह के पक्ष में आवंटित है, जिनका फ्री-होल्ड निबन्धन विलेख आवंटियों के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित है। प्राप्त शिकायती पत्र के क्रम में आवंटियों को भूखण्ड आवंटन/निबन्धन से सम्बन्धित मूल प्रपत्रों व स्वयं के पहचान पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पूर्व में दिनांक 25.09.2019 एवं दिनांक 24.10.2019 को पत्र प्रेषित किये गये है, परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड के आवंटी वांछित प्रपत्रों सहित कार्यालय में उपस्थित नही हुए है, जिस हेतु दिनांक 30.12.2020 को कार्यालय द्वारा पुनः उक्त आवंटियों को उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, संदर्भित सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा वांछित प्रपत्र/अभिलेख उपलब्ध होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस आशय की सूचना आपके पूर्व प्रेषित प्रार्थना-पत्रों/आई0जी0आर0एस0 के प्रतिउत्तर आपको कार्यालय पत्र संख्या-516/OSD-R/2020 दिनांक 06.02.2020, पत्र संख्या-1184/SOP/2021, पत्र संख्या-1217/SOP/2021 दिनांक 16.06.2021 एवं पत्र संख्या-1225/OSD/K/2021 दिनांक 18.06.2021 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवंटन में अनियमितता की शिकायत के सम्बन्ध में मान्य साक्ष्यों के साथ ही मूल शपथ-पत्र इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि परीक्षण कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(अमित राठौर)

विशेष कार्याधिकारी

कार्यालय: तहसीलदार–अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक – 7X/ए.सी. / तह. / 2022

दिनांक –01/ 2022

सम्पत्ति अधिकारी, कानपुर रोड योजना

कृपया जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री योगी एम0पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या–LKDPA/R/2022/60189 दिनांक–05.06.2022 के माध्यम से भूखण्ड संख्या–एस0एस0–1914, 1915, 1916, 1917 एवं 1918 के आवंटन/निबन्धन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पत्ति अनुभाग द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में वांछित सूचना का सम्बन्ध सम्पत्ति अनुभाग से है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री योगी एम0पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या–LKDPA/R/2022/60189 मूल रूप से संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आवेदक को अपने स्तर से वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शशि भूषण पाठक)
तहसलीदार–अर्जन

प्रतिलिपिः–जनसूचना अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या–LKDPA/R/2022/60189 दिनांक–05.06.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(शशि भूषण पाठक)
तहसलीदार–अर्जन

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

षक:- सम्पत्ति अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	सेवा में: गुड्डी, एस0एस0/1914/एच0 सेक्टर-एच, कानपुर रोड लखनऊ।
ख्या:- 4321/सं0अ0/07 नांक:- 13.8.07	नत्थी:- ....

विषय

एस0एस0/1914/एच कानपुर रोड योजना के निबन्धन के पश्चात प्राप्त आपत्ति के सम्बन्ध में वार्ता किये जाने हेतु।

महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि भूखण्ड सं0-एस0एस0/1914/एच कानपुर रोड योजना आपके पक्ष में आवंटित है तथा दिनांक 28.02.07 को प्राधिकरण द्वारा आपके पक्ष में निबन्धन किये जाने के पश्चात उक्त निबन्धन पर श्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा दिनांक 15.03.07 तथा 26.06.07 के पत्र द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है।

अतएव कृपया उक्त के सम्बन्ध में आप दिनांक 25.08.07 के प्रातः 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वार्ता हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0के0 सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपिः- श्री दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य उप सम्पादक, स्वतंत्र भारत लखनऊ को उपरोक्त तिथि को वार्ता के समय उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ।

(के0के0 सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH : LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 135 (H/C) OF 2006

Smt. Anuradha Singh @ Guddi, daughter of Late Sri Brajraj Singh, resident of House No. 1914/18, Sector-H, Asiyana, Lucknow, through her mother Veena Singh, wife of Late Sri Brajraj Singh, resident of 156, Nai Vijay Nagar Colony, District Agra.

..... Detenue/petitioner
(private custody.)

Versus

1. State of U.P. through Secretary of Home Department, Civil Secretariat, U.P., Lucknow.
2. Senior Superintendent of Police, District Lucknow.
3. Station House Officer, police station Asiyana District Lucknow.

Sri Dinesh Pratap Singh

Rinku Singh, son of Sri Dinesh Pratap Singh.

6. Gudia, daughter of Dinesh Pratap Singh.
7. Kesar Singh, wife of ~~Sri~~ Dinesh Pratap Singh.

No. 4 to 7 all resident of Sector-H, L.D.A. Colony, 1914/18, Kanpur Road, Lucknow.

.... Opposite parties

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226
OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

....2

Court No. 8

Writ Petition No. 135 (H.C.) of 2006
Smt. Anuradha Singh @ Guddi Detenue/ petitioner

Vs

State of U.P. through Secretary of Home Department, Civil Secretariat, U.P. :Lucknow and others Opposite Parties

Hon'ble B.B.Agarwal,J.

This writ petition has been filed for issuance of a writ in the nature of habeas corpus, commanding the opposite parties to produce the petitioner-detenue before this Court and allow her to live free at her home.

Herd Sri Amar Singh, counsel for the detenue and Sri R.K. Dwivedi from the side of the State.

Counter affidavit has been filed on behalf of the State, specifically deposing in the affidavit filed by S.I. Sri Satyesh Prakash Dwivedi that some dispute was going on between the parties regarding the property, in question, and as a result of that dispute it appears that the respondents have closed the door which is the only way of egress and ingress to the portion of the detenue Smt. Anuradha Singh.

It is contended on behalf of the petitioner by her mother Smt. Veena Singh that the detenue was residing in the first storey of the house and the only way for egress and ingress to that portion was a staircase which was having a door opened in the ground floor, that the door has been closed resulting in the movement of the detenue. She cannot go out from her house. Therefore, she shall be deemed to have been in illegal detention by of respondents no. 4 to 7 in her house.

In support of the contention, Annexure 1 has been filed which is a report sent by the petitioner and others at the Police Station against the respondents. Annexure No. 2 is the copy of the said report, which has been sent to SSP, Lucknow. Annexures no. 3 and 4 are applications in respect of the same matter. After perusal of all the facts it is not a case which strictly falls within the definition of illegal detention by the opposite parties and it is a dispute between the parties in connection with the title over the disputed property and the petitioner has a remedy to file a civil suit or to move the Administration. However, since the petition has been filed under Article 226 of the Constitution of India for issuance of a writ of habeas corpus and it is clear as per allegation that the petitioner is not being able to exercise her movement from her house due to putting off a lock in the staircase which is the only way for ingress and egress to the house of the petitioner and the petitioner cannot even take necessary steps in the Civil Court or before the Administration without going out of the house, under these circumstances it is

simply ordered that the respondents no. 4 to 7 shall open the lock of the staircase so that Smt. Anuradha Singh, the petitioner may come out of the house and take proper and appropriate remedy in the competent court and after that she may have the liberty to go anywhere. Since it is not a case in the strict sense of illegal detention, therefore, no direction can be issued to the respondents to produce the detenue in the court and allow her to live free at her home, but since she cannot taken necessary steps for taking remedy in the competent court, therefore, it is simply ordered that the alleged detenue Smt. Anuradha Singh shall be allowed to go out of the house and respondents no. 4 to 7 shall open the lock of the door and open the door so that Smt. Anuradha Singh may come out and take appropriate remedy.

With the above observations, the petition is disposed of finally.

Sd B.B. Agarwal
07-03-06

7.3.2006
Tripathi

7/3/06